

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में  
दिनांक 28-09-2015 को राज्य इनोवेशन कौंसिल  
की पाँचवी बैठक में लिए गये निर्णय

- डा०ए०पी०जे०ए०के०टी०यू०, लखनऊ द्वारा इन्यूवेशन केन्द्र स्थापित किये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय, 4 सरकारी संस्थाओं जिसमें इन्यूवेशन सेन्टर स्थापित किया जा रहा है, का प्रचार-प्रसार एवं बेवसाइट पर डाला जाय तथा नव-अन्वेषण (इनोवेशन) तथा औद्योगिक समस्याओं के निराकरण के लिये प्राविधिक विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर एक लिंक तैयार किये जाने की अपेक्षा की गयी, जिस पर औद्योगिक समस्यायें एवं इनोवेशन संबंधी विचार आदि प्राप्त कर सम्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही- प्राविधिक शिक्षा विभाग/कुलपति,  
डा०ए०पी०जे०ए०के०टी०यू०, लखनऊ)

## राज्य इनोवेशन परिषद

इनोवेशन को प्रयोगशालाओं तथा फैक्ट्रियों तक सीमित न रखते हुए इन्क्लूसिव विकास प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करते हुए नये-नये उपाय/तकनीक ढूंढने को भी सम्मिलित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राज्य इनोवेशन परिषद निम्नवत् है:-

1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन	-	अध्यक्ष
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
3- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग	-	सदस्य
4- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	सदस्य
5- प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	सदस्य
6- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	-	सदस्य
7- प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग	-	सदस्य
8- प्रमुख सचिव, लघु उद्योग	-	सदस्य
9- प्रमुख सचिव, हथकरघा विभाग	-	सदस्य
10- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग	-	सदस्य
11- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	-	सदस्य
12- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	-	सदस्य
13- प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स	-	सदस्य
14- प्रमुख सचिव, राजस्व	-	सदस्य
15- प्रमुख सचिव, वन	-	सदस्य
16- डा० अनिल के० गुप्ता, उपाध्यक्ष नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन-		सदस्य
17- कुलपति, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ	-	सदस्य
18- कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-		सदस्य
19- कुलपति के०जी० चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	-	सदस्य

20—कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	—	सदस्य
21—निदेशक, आई0आई0एम0, लखनऊ द्वारा नामित एक फैकल्टी मेम्बर (जो कौन्सिल के कार्यों हेतु उपयुक्त समझा जाये)	—	सदस्य
22—महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकेडमी	—	सदस्य
23—निदेशक, आई.आई.टी. कानपुर द्वारा नामित (जिन्हें कौन्सिल के कार्यों हेतु उपयुक्त समझा जाये) एक फैकल्टी	—	सदस्य
24—निदेशक, गिरि इन्स्टीट्यूट, लखनऊ	—	सदस्य
25—निदेशक, जी0बी0 पंत इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इलाहाबाद	—	सदस्य
26—फिक्की/एसोसिएट चैम्बर के यू0पी0 चैप्टर द्वारा नामित	—	सदस्य
27—नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स एकेडमी (नासी) इलाहाबाद द्वारा नामित	—	सदस्य
28—महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	—	सदस्य
29—महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) (जहां महानिदेशक व प्रमुख सचिव एक ही व्यक्ति पद ग्रहण कर रहे हों, वहां महानिदेशक द्वारा नामित)	—	सदस्य
30—निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग।	—	सदस्य सचिव
31—मुख्य सचिव द्वारा नामित 5 गैर सरकारी सदस्य जिन्होंने विज्ञान, तकनीकी व इनोवेशन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की हो। (प्रयास यह किया जाय कि गैर सरकारी सदस्य प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें)	—	सदस्य

## राज्य इनोवेशन परिषद का कार्यक्षेत्र

- राज्य में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सतत् प्रयास करना।
- राज्य इनोवेशन कोष का संचालन करना तथा इस हेतु इनोवेशन की परियोजनाओं को स्वीकृत करना, क्रियान्वयन की समीक्षा करना एवं उन परियोजनाओं के प्रभावशीलता का आँगणन करवाना।
- सफल इनोवेशन/प्रयोगों को राज्य की नीतियों में समाविष्ट करने हेतु निर्णय लेना।
- सफल इनोवेशन को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कृत करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं यू0पी0टी0यू0, लखनऊ द्वारा इनोवेशन प्रस्तावों का रू0 10.00 लाख से ऊपर का अनुमोदन (रू0 10.00 लाख के नीचे के प्रस्तावों का अन्तिम निर्णय उनके द्वारा गठित विभागीय व्यवस्था द्वारा किया जायेगा)।